P.87 PAG-2186 19/6/13

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांक: प.9( )/कार्मिक/क–5/13

NO/PA/Dir./P.H.7 5427 – 5 JUN 2013 D.M. & H.S. (P.H.)

जयपुर, दिनांक:– 30 MAY 2013

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. महानिरीक्षक पुलिस, (रेंज), समस्त संभाग।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग शासन सचिवालय, जयपुर 04 JUN 2013 6533

Secy. MOH Add. CEO2 All Directors (PH) Add. Dir (Adm) 1216

परिपत्र

विषयः–ड्यूटी पर तैनात कर्तव्यनिष्ठ राजसेवकों के संरक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मा. मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि कोटा संभाग के जिला बूंदी में डाबी वन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही के दौरान अवैध खननकत्ताओं के द्वारा किये गये दु:साहसिक हमले के कारण श्री सायर सिंह वन रक्षक की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त भी संभाग के वरिष्ठत्तम प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी धटना स्थल पर नहीं पहुँचे और न ही मृतक के परिजनों से मिले। ऐसी परिरिथतियों में राज्य सेवा के प्रति समर्पित कार्मिकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पडता है। राज्य सरकार का मानना है कि ऐसी संवेदनशील परिरिथतियों/घटनाओं के समय संबंधित अधिकारियों का घटना स्थल पर उपस्थित होना एवं उचित कार्यवाही करनें का नैतिक कर्तव्य होता है।

अतः समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि ऐसी संवेदनशील घटनायें होने पर संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर उचित कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान करें तथा परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान करें।

प्रमुख शासन सचिव 28.5.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपसचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप क्रमांक मं/सानिवि/13/1265 दिनांक 03.05.2013 के क्रम में।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

P.T.O.